

52



C.F.F.S. / 2

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल म० प्र० ज्वालियर म० प्र०

R-237-II/2005

श्री सुरेश शिवास्ती - एडवोकेट  
द्वारा आज दि० 25/2/05 को प्रस्तुत।

अधिवक्ता  
राजस्व मण्डल म० प्र० ज्वालियर

25 FEB 2005

शु मन्सुषी तनय गोकुल लोधी निवासी ग्राम  
रामनगर तहसील व जिला टीकमगढ म० प्र०  
-- निगराकार

बनाम

सरजू प्रसाद तनय रामदयाल लोधी निवासी  
ग्राम रामनगर तहसील व जिला टीकमगढ म० प्र०  
--- उत्तरवादी

निगरानी प्रस्तुत न्यायालय कीमन्नर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 92ए -5/02-0  
-03 दिनांक 11/1/2005 के विस्तृत अर्जात धारा 50 म० प्र० भू० रा० संहिता

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 237-दो/2005

जिला टीकमगढ़

मनखुशी

विरुद्ध

सरजू प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
02-8-2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक की ओर से श्री एस0पी0 धाकड़ अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>2/ आवेदक अभिभाषक दिनांक 02-11-2016 से प्रकरण में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। पूर्व पेशी दिनांक 19-3-2019 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में आवेदक को रजिस्टर्ड डाक से सूचना जारी करने के आदेश दिये थे, जिसके कम में आवेदक को रजिस्टर्ड सूचना जारी की गई। इसके उपरांत भी आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। इस प्रकार की अनुपस्थिति प्रकरण के संचालन में आवेदक की अरुचि को प्रकट करता है। फलस्वरूप यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	

(जे 0के0 जैन)  
सदस्य